



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238360
CG-DL-E-24082022-238360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944

No. 577]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

सा.का.नि. 653(अ).—पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण (वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2022 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव रखती है, को इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है; तथा इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को सरकारी राजपत्र की प्रतियां जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराई गई हैं;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, श्री सी. एस. राव, उप सचिव, कमरा सं. 310, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली-110001 को प्रेषित किए जाएं।

ऊपर दी गई अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) ये नियम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधीकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2015 में नियम 4(1) में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाएगा, -
- (i) “80,000/- रुपये (नियत) प्रतिमाह” शब्द और आंकड़ों के स्थान पर “2,25,000/- रुपये प्रतिमाह” शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जैड-25025/05/2013-सीएलएस-II]

नागेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक

नोट : मूल नियम दिनांक 6 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

G.S.R. 653(E).—The following draft of the Presiding Officer of the Labour Court, Industrial Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms & Conditions of Service) Amendment Rules, 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any may be addressed to Shri C.S. Rao, Deputy Secretary, Room No. 310, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, New Delhi – 110001

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Presiding Officer of the Labour Court, Industrial Tribunal and National Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms & Conditions of Service) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Presiding Officer of the Labour Court, Industrial Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms & Conditions of Service) Rules, 2015, in the Rule 4(1), the following shall be replaced,-
 - for the word and figure “Rs. 80,000/-(fixed) per month” the word and figure “Rs. 2,25,000/- per month” shall be substituted.

[F. No. Z-25025/05/2013-CLS-II]

NAGESH KUMAR SINGH, Dy. Director General

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 336 E dated 6th April, 2015.